समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला आपूर्ति ,शाखा)

पत्रांक.............

प्रेषक,

जिलाधिकारी
मधेपुरा ।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी
मधेपुरा/उदाकिशनुगंज।

मधेपुरा,दिनांक.............

विषयः- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत माह मार्च,2016 के खाद्यान्न उठाव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 02.05.2016 को बिहार राज्य खाद्य निगम के साईड से अपलोड किये गये एस0आई0ओ0 डिस्पैच प्रोग्रेसिव रिर्पोट की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रखंड शंकरपुर को छोड़कर शेष प्रखंडों का माह मार्च,2016 के पी0एच0एच0 एवं अन्त्योदय योजना के आवंटित खाद्यान्न के विरूद्ध शतप्रतिशत खाद्यान्न का उठाव अभी भी नही हो पाया है, जिसका विवरण प्रखंडवार निम्न रूपेण हैः-

क्र0	प्रखंड का नाम	अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त खाद्यान्न आवंटित खाद्यान्न की मात्रा (क्वीं में)		आवंटित खाद्यान्न के विरूद्ध उठाव किये गये खाद्यान्न की मात्रा (क्वी में)		आवंटित खाद्यान्न के विरूद्ध अभी तक उठाव नही किये खाद्यान्न की मात्रा (क्वी में)	
		गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मधेपुरा	3595.28	5392.92	3589.30	5383.95	5.98	8.97
2	न0 प0 मधेपुरा	1089.30	1633.95	1085.66	1628.49	3.64	5.46
3	घैलाढ़	1671.00	2506.50	1662.88	2494.32	8.12	12.18
4	सिहेश्वर	2685.48	4028.22	2681.56	4022.34	3.92	5.88
5	गम्हरिया	1478.26	2217.39	1474.90	2212.35	3.36	5.04
6	शंकरपुर	2039.54	3059.31	2039.54	3059.31	0.00	0.00
7	मुरलीगंज	3744.56	5616.84	3502.31	5253.46	242.25	363.38
8	न0 प0 मुरलीगंज	588.24	882.36	585.87	878.80	2.37	3.56
9	कुमारखंड	4561.00	6841.50	4497.26	6666.04	63.74	175.46
10	ग्वालपाड़ा	2412.56	3618.84	1748.00	2622.00	664.56	996.84
11	उदाकिशुनगंज	3516.76	5275.14	2720.70	4169.34	796.06	1105.80
12	बिहारीगंज	2497.52	3746.28	2444.26	3666.39	53.26	79.89
13	चौसा	2956.28	4434.42	2803.32	4204.98	152.96	229.44
14	पुरैनी	2048.62	3072.93	2047.36	3071.04	1.26	1.89
15	आलमनगर	3534.30	5301.45	1619.70	2429.55	1914.60	2871.90
कुल योगः-		38418.70	57628.05	34502.62	51762.36	3916.08	5865.69

माह मार्च,2016 के खाद्यान्न के उठाव के संबंध में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा द्वारा बताया गया है कि उक्त योजना के आवंटित खाद्यान्न के विरूद्ध शतप्रशित खाद्यान्न का उठाव हो गया है, जबकि नेट से अपलोड किये गये एस0आई0ओ0 डिस्पैच प्रोग्रसिव रिर्पोट से ज्ञात होता है कि अभी भी खाद्यान्न का उठाव शतप्रतिशत नही हुआ है।

उपरोक्त खाद्यान्न उठाव संबंधी आंकड़ो के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि जिन प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का आवंटित खाद्याान्न के विरुद्ध शतप्रतिशत खाद्यान्न के उठाव अभी तक नही हो पाया है, उनके दुकान से सम्बद्ध उपभोक्ता उक्त माह (माह मार्च,2016) के खाद्यान्न लेने से अभी तक वंचित है, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के तहत पूर्विकताप्राप्त एवं अन्त्योदय योजनान्तर्गत पात्र लाभूकों प्रत्येक माह खाद्यान्न मुहैया कराया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

ऐसी स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक माह समय-समय पर आवंटित खाद्यान्न के विरूद्व खाद्यान्न उठाव की आप अपने स्तर से समीक्षा कर अश्वशत हो लें। यदि खाद्यान्न उठाव/वितरण, समय पर राशि जमा करने में किसी प्रकार की विसंगतियाॅ पाई जाती है तो दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को संसूचित करना सुनिश्चित करेगें।

अतः वर्णित परिपेक्ष्य में अनुरोध है कि अपने स्तर से प्राथमिकता के आधार पर इसकी समीक्षा की जाय एवं दोषी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई किया जाय। साथ ही माह मार्च,2016 के आवंटित खाद्यान्न के विरूद्ध जिन जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न का उठाव अभी तक नही किया गया है, उसकी सूचना अविलंब जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम मधेपुरा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दी जाय, ताकि डोर स्टेप डिलवेरी के तहत् खाद्यान्न का अविलंब उठाव कराया जा सकें तथा संबंधित प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक की देख-रेख में जन वितरण प्रणाली विकेता की दुकान से सम्बद्ध उपभोक्ताओं के बीच वितरण कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

जिलाधिकारी

मधेपुरा।

ज्ञापांक 357 दिनांक 03.05.16

प्रतिलिपिः- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सभी सहायक गोदाम प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि एस0आई0ओ0 डिस्पैच कि स्थिति तथा जन वितरण प्रणाली के दुकान तक खाद्यान्न पहुॅचने की लगातार समीक्षा की जाय।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना बिज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित

जिलाधिकारी

मधेपुरा।